

गांधीजी का शिक्षा-दर्शन

[Gandhiji's Educational Philisophy]

गांधीजी के शिक्षा-दर्शन का इनके जीवन दर्शन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। गांधीजी का मत है कि सत्य अहिंसा, सेवा, निर्भयता आदि जीवन के ऐसे उद्देश्य हैं, जिनकी प्राप्ति केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। इन्होंने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का एकमात्र आधार शिक्षा है। गांधीजी का शिक्षा-दर्शन इनके जीवन-दर्शन का गतिशील पक्ष है।

गांधीजी के शिक्षा-दर्शन पर भारतीय तथा अन्य दर्शनों का पूर्ण प्रभाव है। इनके शिक्षा-सम्बन्धी विचार मूल रूप से प्राचीन भारतीय विचारों पर आधारित हैं, लेकिन उन पर पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिकों के आधुनिक सिद्धान्तों का भी प्रभाव पड़ा है। इस कारण इनके शिक्षा दर्शन में प्राचीन भारतीय विचारों तथा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा सिद्धान्तों का अनुपम समन्वय है। इनके शिक्षा दर्शन पर जहाँ गीता-दर्शन का प्रभाव पड़ा है, वहीं रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक 'Unto The Last' तथा टालस्टाय की प्रसिद्ध पुस्तक 'The Kingdom of God is Within You' तथा ग्रीन के विचारों का भी प्रभाव पड़ा है।

गांधीजी के शिक्षा-दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। एम०एस० पटेल के शब्दों में, "गांधीजी का शिक्षा-दर्शन स्वरूप की दृष्टि से प्रकृतिवादी, उद्देश्य की दृष्टि से आदर्शवादी और शिक्षण विधि की दृष्टि से प्रयोजनवादी है।" मूलतः महात्मा गांधी एक आदर्शवादी दार्शनिक और शिक्षाशास्त्री थे। वे पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते थे। आदर्शवाद की तरह गांधीजी ने शिक्षा के उद्देश्यों का विधान किया है, जिनके द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक तथा सौन्दर्यात्मक सभी प्रकार का विकास सन्तुलित रूप से हो सके और वह अपने चरम लक्ष्य 'आत्मानुभूति' को प्राप्त कर सके। गांधीजी ने कहा है कि ईश्वर अथवा सत्य को समाज सेवा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वैराग्य द्वारा नहीं। गांधीजी ने पेस्टालॉजी की तरह शिक्षा का केन्द्र-बिन्दु बालक को माना है और उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। हरबर्ट की तरह इन्होंने शिक्षा का कार्य बालक की सोई हुई शक्तियों को उत्तेजित करके उनका पूर्ण विकास करना बताया है। एम०एस० पटेल (M.S. Patel) ने लिखा है, "गांधीजी के लेखों का अध्ययन करके प्रत्येक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि वे हृदय से आदर्शवादी थे।"

"A study of his writings will lead to the conclusion that Gandhiji was an idealist to the core."

प्रकृतिवादी दर्शन की छाप भी गांधीजी के विचारों में मिलती है। रूसो आदि प्रकृतिवादियों की भाँति गांधीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में बालक की मूल प्रवृत्तियों तथा रुचियों और झुकावों की ओर ध्यान देने को कहा है। इन्होंने प्रकृतिवादी शिक्षाशास्त्रियों की तरह क्रिया द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया है, क्योंकि हस्तकला की शिक्षा इसी प्रकार दी जा सकती है। प्रकृतिवादियों की तरह गांधीजी यह मानते हैं कि शिक्षण में स्वतन्त्रता आवश्यक है, इससे बालक का स्वाभाविक विकास होता है। गांधीजी ने प्रकृतिवादियों की तरह अधिक पाठ्य-पुस्तकों का भी विरोध किया है। इन्होंने लिखा है, "मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने उपलब्ध पुस्तकों का कोई बहुत अधिक प्रयोग किया हो। मैं इस बात को बिल्कुल आवश्यक नहीं समझता कि बालकों को पुस्तकों से लादा जाए। मैंने सदैव यह अनुभव किया है कि बालक के लिए उसकी सच्ची पाठ्य-पुस्तक उसका शिक्षक है। मुझे याद नहीं कि मेरे शिक्षकों ने मुझे पाठ्य-पुस्तकों द्वारा पढ़ाया, पर मुझे अब भी वे बातें अच्छी तरह याद हैं, जो मुझे बिना पुस्तकों के पढ़ाई गईं। बालक थोड़े से परिश्रम से आँख की अपेक्षा कानों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुझे ध्यान नहीं कि मैंने अन्य बालकों के साथ किसी भी पुस्तक को आरम्भ से अन्त तक पढ़ा।"

गांधीजी के शिक्षा दर्शन में भौतिकवादी दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। एल०एन० गुप्त के शब्दों में—
“वह (गांधीजी) इस संसार से भागकर शान्ति प्राप्त करने के लिए सन्देश नहीं देते, प्रत्युत इस संसार में रहकर निष्काम कर्म के द्वारा शान्ति प्राप्त करने के लिए, सत्य बोध के लिए कहते हैं। गांधीजी ने उत्पाद क्रिया को माध्यम बनाने की संस्तुति की है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बालक अपने बचपन से ही अपनी रोटी कमाने के लिए आदत बनाए तथा शिक्षा में श्रम तथा वैज्ञानिक ज्ञान को साथ जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए।” यह संकेत भौतिकवादी भावना प्रकट करता है। बेसिक शिक्षा का मूलाधार ही भौतिकवादी कहा जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि भारत के बालकों को ऐसे कौशलों का ज्ञान दिया जाए जिससे वे आत्मनिर्भर कमाऊ व्यक्ति बनें।

गांधीजी ने अपने शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवादी सिद्धान्तों को भी स्थान दिया है। प्रयोजनवादी शिक्षाशास्त्रियों की तरह गांधीजी ने कहा है कि शिक्षा जीवन से सम्बन्धित होनी चाहिए तथा उसे बालकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालकों को बेसिक उद्योग के माध्यम से क्रिया द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे सभी विषयों में एकीकरण तथा समन्वय स्थापित किया जा सके। गांधीजी प्रयोजनवादियों की तरह वैज्ञानिक ज्ञान को कौशल के साथ प्रदान करना चाहते हैं और यह ज्ञान एक प्रकार से प्रयोगों के आधार पर ही दिया जाएगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधीजी के शिक्षा-दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तीनों शैक्षणिक विचारधाराएँ पाई जाती हैं, लेकिन विशेष महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उनके शिक्षा दर्शन में ये तीनों विचारधाराएँ पृथक् और स्वतन्त्र नहीं हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है, अपितु वह मिलकर एक हो गई हैं। वे एक-दूसरे की पूरक हैं। आदर्शवादी विचारधारा गांधीजी के शिक्षा-दर्शन का आधार है और प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद उसके सहायक हैं। एम०एस० पटेल (M.S. Patel) का यह कथन पूर्णतः सत्य है, “यह (गांधीजी) अपनी योजना में प्रकृतिवादी, अपने उद्देश्यों में आदर्शवादी तथा अपने कार्यक्रम एवं कार्यविधि में प्रयोजनवादी हैं। दार्शनिक के रूप में गांधीजी की महानता इस बात में है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ अलग और स्वतन्त्र नहीं हैं वरन् वे सब मिल-जुलकर एक हो गई हैं, जिससे ऐसे शिक्षा-दर्शन का जन्म हुआ है जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा तथा मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करेगा।”

“It is naturalistic in the setting, idealist in its aim and pragmatist in its method and programme of work. The real greatness of Gandhiji as an educational philosopher consists in the fact that the dominant tendencies of naturalism and pragmatism are not separate and independent in his philosophy, but they fuse into a unity, giving rise to a theory of education which would suit the needs of the day and satisfy the loftiest aspiration of the human soul.”

गांधीजी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त

(Fundamental Principles of the Educational Philosophy of Gandhiji)

(1) साक्षरता शिक्षा नहीं—गांधीजी के अनुसार साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो बालक का सर्वांगीण विकास है।

(2) समस्त मानवीय गुणों का विकास—शिक्षा को बालक-बालिकाओं में निहित समस्त मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए।

(3) व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास—शिक्षा को बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों—शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा—का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए।

(4) समस्त शक्तियों का विकास—शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का, उस समुदाय का जिसका वह सदस्य है, सामान्य हित के अनुसार विकास करना चाहिए।

(5) शिक्षा का प्रारम्भ लाभप्रद हस्तकला—बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तकला या दस्तकारी से प्रारम्भ होनी चाहिए जिससे वह अपने भावी जीवन में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके।

(6) शिक्षा का सम्बन्ध वास्तविक जीवन से—बालक की शिक्षा का सम्बन्ध जीवन की वास्तविक परिस्थितियों एवं भौतिक वातावरण से होना चाहिए।

(7) बेरोजगारी से सुरक्षा—शिक्षा को बेरोजगारी से बालकों की सुरक्षा करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो, जिसे प्राप्त करके बालक किसी न किसी व्यवसाय में लग जाए।

(8) निःशुल्क शिक्षा—सम्पूर्ण देश में सात वर्ष से चौदह वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।

(9) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा—बालकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए।

(10) सक्रिय शिक्षा—बालक को अपना ज्ञान सक्रिय रूप से प्राप्त करना चाहिए और उसका प्रयोग सामाजिक वातावरण को समझने तथा उस पर अधिक उत्तम नियन्त्रण रखने के लिए करना चाहिए।

(11) उद्योग शिक्षा का केन्द्र—बालक को शिक्षा किसी न किसी उत्पादक उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए और इसका उस उद्योग से सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए।

(12) स्वावलम्बी शिक्षा—शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। जिस उद्योग या दस्तकारी को शिक्षा के साधन के रूप में चुना जाए, उस शिक्षा के द्वारा बालक को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।

(13) शिक्षा में प्रयोग, कार्य व खोज पर बल—शिक्षा में प्रयोग, कार्य एवं खोज पर बल दिया जाना चाहिए। विद्यालय में बालकों को विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के अवसर मिलने चाहिए जिससे वे विभिन्न प्रयोग करके नई खोजें कर सकें।

(14) उपयोगी नागरिकों का निर्माण करने वाली शिक्षा—बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो श्रेष्ठ और उपयोगी नागरिकों का निर्माण कर सके। शिक्षा के द्वारा बालकों में बन्धुत्व, सहयोग और समाज-सेवा की भावना पैदा की जानी चाहिए।

शिक्षा का अर्थ

(Meaning of Education)

गांधीजी की यह उत्कट इच्छा और अभिलाषा थी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, लेकिन शिक्षित होने का उनका अभिप्राय 'साक्षर' होने से ही नहीं था। वे साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। गांधीजी ने कहा है—“साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है और न प्रारम्भ। यह केवल एक साधन है, जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है।”

“Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the means whereby man and woman can be educated.”

शिक्षा को परिभाषित करते हुए गांधीजी ने लिखा है—“शिक्षा से मेरा अभिप्राय है—बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास।”

“By education I mean an all-around drawing out of the best in child and man body, mind and spirit.”

गांधीजी के द्वारा बताए गए शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महादेव देसाई (Mahadev Desai) ने लिखा है—“गांधीजी ने प्रायः यह बताया है कि शिक्षा को बालक और बालिका के समस्त मानव-गुणों का विकास करना चाहिए। वह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती जो बालकों और बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य या उपयोगी नागरिक नहीं बनाती।” इस प्रकार गांधीजी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है—“पूर्ण मनुष्य का निर्माण करना। पूर्ण मनुष्य से तात्पर्य है—बालक के व्यक्तित्व के चारों पक्षों—शरीर, हृदय, मन और आत्मा—का सामंजस्यपूर्ण विकास।” अतः गांधीजी के अनुसार, “सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों को व्यक्त तथा प्रेरित करती है।”

शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)

गांधीजी ने जीवन के विभिन्न पक्षों और आदर्शों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा के अनेक उद्देश्य बतलाए हैं। ये उद्देश्य दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं—

(1) सर्वोच्च उद्देश्य (Ultimate Aim), (2) तात्कालिक उद्देश्य (Immediate Aim)।

1. शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य (Ultimate Aim of Education)

गांधीजी के अनुसार शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य है—‘अन्तिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर का ज्ञान और आत्मानुभूति का ज्ञान’ (Realization of the ultimate reality, a knowledge of God and self-realization)। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अन्तिम वास्तविकता को पहचान सके, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सके, आत्मानुभूति कर सके। गांधीजी ने लिखा है—“टालस्टाय फार्म पर बालकों को शिक्षा देने का कार्य करने से बहुत पहले मुझे इस बात का ज्ञान हो गया था कि आत्मा का प्रशिक्षण स्वयं एक महान् कार्य है। आत्मा का विकास करना ही चरित्र का निर्माण करना है और व्यक्ति को ईश्वर तथा आत्मानुभूति के लिए कार्य करने के योग्य बनाना है।”

2. शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य (Immediate Aims of Education)

गांधीजी ने शिक्षा के निम्नलिखित तात्कालिक उद्देश्य बतलाए हैं—

(1) जीविकोपार्जन का उद्देश्य—गांधीजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। गांधीजी का मत था कि जो शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती वह व्यर्थ है। उनकी इच्छा थी कि बालक-बालिकाएँ जब शिक्षा प्राप्त करके निकलें तो उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा न हो। गांधीजी ने लिखा है—“शिक्षा को बालकों की बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। सात वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त करने के बाद चौदह वर्ष की आयु में बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय के बाहर भेजना चाहिए।”

(2) व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास (Harmonious Development of the Personality)—गांधीजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। गांधीजी के शब्दों में—“शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का उचित और सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण सम्पूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है और यही शिक्षा की सच्ची मितव्ययिता का निर्माण करता है।”

“A proper and harmonious combination of all three—body, mind and spirit is required for making the whole man and constitutes the true economic of education.”

इस प्रकार गांधीजी ने शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा तीनों के सामंजस्यपूर्ण विकास पर बल दिया है। गांधीजी के शिक्षा के इस उद्देश्य के विषय में एम०एस० पटेल (M.S. Patel) ने लिखा है—“गांधीजी का विश्वास है कि जब तक मस्तिष्क और शरीर का विकास आत्मा की जागृति के साथ-साथ नहीं होगा, तब तक पहले प्रकार का विकास एकाकी सिद्ध होगा।”

“Unless the development of the body and mind goes hand in hand, Gandhiji believes with a corresponding awakening of the soul, the former alone will prove to be lopsided affair. A proper and harmonious combination of all the three is required for the making of the whole man.”

(3) सांस्कृतिक उद्देश्य (Cultural Aim)—गांधीजी के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक को अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को व्यक्त करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है—“संस्कृति नींव है, प्रारम्भिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहार से इसे प्रकट होना चाहिए।” इस प्रकार इन्होंने सांस्कृतिक विकास को शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना है। कस्तूरबा बालिका आश्रम की बालिकाओं से वार्ता करते हुए गांधीजी ने कहा था—“मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। संस्कृति शिक्षा का आधार तथा विशेषांग है, जिसे बालिकाओं को यहाँ प्राप्त करना चाहिए। आपके आचरण तथा व्यवहार में,

आपके उठने-बैठने, चलने-फिरने तथा वेशभूषा आदि की पूर्ण झलक मिलनी चाहिए। आन्तरिक संस्कृति की छाप आपकी वाणी पर पड़नी चाहिए।”

“I give more significance to cultural aspect of education than its literary one. Culture is an important thing for girls. They must express their culture in their talks, actions, wearing of clothes and small acts and behaviour. Inner culture must be reflected in your speech.”

(4) नैतिक उद्देश्य (Moral Aim)—गांधीजी ने शिक्षा में नैतिकता या चरित्र-निर्माण पर अत्यधिक बल दिया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है—“मैंने हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र-निर्माण को सदैव प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र-निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है।”

“I had always given the first place to the culture of the heart in building of character. I regarded character building as the proper foundation for education.”

एक बार गांधीजी से एक पत्रकार ने पूछा, “जब भारत स्वतन्त्र हो जाएगा, तब आपकी शिक्षा का क्या लक्ष्य होगा?” इन्होंने तुरन्त उत्तर दिया—“चरित्र-निर्माण’। गांधीजी ने सम्पूर्ण ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य चरित्र-निर्माण को माना है। इनके शब्दों में, “समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए। व्यक्तिगत पवित्रता को समस्त चरित्र-निर्माण का आधार होना चाहिए। चरित्र के बिना ‘शिक्षा’ और पवित्रता के बिना ‘चरित्र’ व्यर्थ है।”

“The end of all knowledge must be the building of character, personal purity is to form the basis of character building. Education without character and character devoid of purity would be no good.”

(5) मुक्ति का उद्देश्य (Liberation Aim)—गांधीजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है—व्यक्ति को मुक्ति दिलाना। ‘मुक्ति’ को इन्होंने दो अर्थों में प्रयुक्त किया है। मुक्ति का एक अर्थ है—वर्तमान जीवन में सभी प्रकार की दासता से मुक्ति। इनका कहना है कि जब तक व्यक्ति बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक किसी भी प्रकार की दासता की वेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तब तक वह कोई प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सभी प्रकार की दासता से मुक्ति दिलाना है। गांधीजी के अनुसार मुक्ति का दूसरा अर्थ है—व्यक्ति को सांसारिक बन्धनों से मुक्त करना और उसकी आत्मा को उच्चतर जीवन की ओर ले जाना। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का मार्ग प्रदर्शित करने और उसे लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य करना है।

शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय (Synthesis of Individual and Social Aims of Education)

गांधीजी ने शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित किया है। यद्यपि गांधीजी ने व्यक्ति की वैयक्तिकता को ही सब प्रकार की उन्नति का आधार माना है और उसे सर्वोच्च स्थान दिया है, लेकिन उनकी मान्यता है कि व्यक्ति की इस वैयक्तिकता का विकास समाज में ही सम्भव है। व्यक्ति का विकास और सामाजिक प्रगति दोनों अन्योन्याश्रित हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति सच्चरित्र और शिक्षित होगा तो समाज का कल्याण निश्चित है और यदि समाज व्यक्ति के विकास के लिए उचित वातावरण तथा परिस्थितियाँ प्रदान करेगा तो व्यक्ति का विकास भी सुनिश्चित है। अतः गांधीजी ने कहा कि वैयक्तिक विकास और सामाजिक प्रगति दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इन्होंने लिखा है—“मैं वैयक्तिक स्वतन्त्रता को बहुत महत्त्व देता हूँ, पर आपको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से सामाजिक प्राणी है। उसने अपनी वर्तमान स्थिति को सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं के साथ अपनी वैयक्तिकता को व्यवस्थित करना सीखकर प्राप्त किया है। अनियन्त्रित वैयक्तिकता जंगल के पशुओं का नियम है, जहाँ शक्ति ही सब कुछ है। हमने वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक नियन्त्रण के बीच का मार्ग अपनाया सीखा है। सम्पूर्ण समाज के हित के लिए स्वेच्छा से सामाजिक नियन्त्रण को स्वीकार करने से व्यक्ति और समाज, जिसका वह सदस्य है, दोनों का विकास होता है।”

“I value individual freedom, but you should not forget that man is essentially a social being. He has risen to his present status by learning to adjust his individualism to the requirements

to social progress. Unrestricted individualism is the law of the beast of jungle where power is all in all. We have learnt to strike the mean between individual freedom and social restraint. Willing submission to social restraint for the sake of the well-being of the whole society, enriches both the individual and the society of which one is a member."

एम०एस० पटेल (M.S. Patel) ने वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय के सम्बन्ध में लिखा है, "गांधीजी के दर्शन का सार यह है कि वैयक्तिकता का विकास सामाजिक वातावरण में ही हो सकता है, जहाँ यह समान रुचियों और समान क्रियाओं पर पोषित हो सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि हम अपने विद्यालयों को समुदायों में बदल दें, क्योंकि समुदाय में वैयक्तिकता को कुचला नहीं जाता, वरन् सामाजिक सम्पर्कों और सेवा के अवसरों से विकसित किया जाता है।"

"The essence of Gandhiji's philosophy is that individuality develops only in a social atmosphere where it can feed on common interests and common activities. He, therefore, wishes that we should transform our schools into communities where individuality is not damped down but developed through social contacts and opportunities of service."

पाठ्यक्रम (Curriculum)

गांधीजी के अनुसार शिक्षा में पाठ्यक्रम को भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। इन्होंने पाठ्यक्रम में विषयों के सहसम्बन्ध पर बल दिया है। गांधीजी ने कहा है कि किसी हस्तकला को केन्द्र बनाकर अन्य विषयों को उसी से सम्बन्धित करके शिक्षण किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने विभिन्नता, रुचि तथा लचीलेपन के सिद्धान्तों पर बल दिया है। किसी हस्तकला के चुनाव में बालक की स्वतन्त्रता तथा रुचि को पूर्ण स्थान मिलना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि गांधीजी ने अपनी बेसिक शिक्षा में क्रिया-प्रधान पाठ्यक्रम को स्थान दिया है, जिसके कारण विद्यालय कार्य, प्रयोग तथा खोज के स्थान में बदल जाते हैं। गांधीजी ने अपने बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को स्थान दिया है—

- (1) आधारभूत शिल्प (Basic Craft)—कृषि, बागवानी, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, धातु का काम, गते का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम आदि।
- (2) मातृभाषा (Mother Tongue)।
- (3) गणित (Mathematics)।
- (4) सामाजिक विषय (Social Study)—इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र।
- (5) स्वास्थ्य विज्ञान (Health Hygiene)।
- (6) सामान्य विज्ञान (General Science)—प्रकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि।
- (7) कला (Drawing)।
- (8) संगीत (Music)।

गांधीजी ने कहा है कि पहली कक्षा से लेकर पाँचवीं कक्षा तक के बालक-बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए और इसके बाद बालकों को क्राफ्ट तथा बालिकाओं को गृहविज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए।

शिक्षण विधियाँ (Methods of Teaching)

गांधीजी ने शिक्षण-विधि में निम्नलिखित सिद्धान्तों व विधियों को मुख्य स्थान दिया है—

- (1) शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके सीखना—गांधीजी ने कहा है कि, "मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क की सच्ची शिक्षा केवल शारीरिक अंगों—हाथ, आँख, नाक आदि—के उचित अभ्यास और शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में बालक के शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क का विकास करने के लिए सबसे अच्छा और तेज तरीका है।" गांधीजी ने कहा है कि बालकों को सबसे पहले

झड़ंग सिखाई जाए, इसके बाद पढ़ना और वर्णमाला के अक्षर पहचानना सिखलाया जाए, तब उसे लिखना सिखाया जाए।

(2) क्रिया द्वारा सीखना—गांधीजी ने अपनी शिक्षण विधि में क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। इसीलिए इन्होंने बेसिक शिक्षा पद्धति में किसी शिल्प को केन्द्र मानकर शिक्षा देने की व्यवस्था की है। उसमें बालकों को क्रिया द्वारा सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी इस विधि द्वारा बालकों में सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति एवं सामाजिकता जैसे गुणों का आविर्भाव होता है। शिक्षक की अपेक्षा क्रिया द्वारा विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करने से मस्तिष्क पर भी अमिट एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है। आत्मानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त होने का अवसर क्रियाशीलता पर ही निर्भर है। उनका मानना था कि छात्रों में स्वतन्त्र चिन्तन की प्रवृत्ति आनी चाहिए, उन्हें मात्र नकलची नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने आप सोचना और करके सीखना चाहिए।

(3) समवाय द्वारा सीखना—गांधीजी ने मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित सहसम्बन्ध अथवा समवाय के सिद्धान्त के महत्त्व को समझा और जीवन के प्रत्येक उपयोगी ज्ञान को शिल्प-केन्द्रित करने की विधि का समर्थन किया। गांधीजी के अनुसार भाषा, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा शिल्प के माध्यम से दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि बुनियादी हस्तकला पूर्ण मण्डल के रूप में होनी चाहिए और अन्य विषयों को ग्रह नक्षत्रों की तरह चारों ओर घूमना तथा केन्द्रीय सूर्य से अपने उत्ताप या रोशनी को प्राप्त करना चाहिए।

(4) वाचन, विचार तथा कर्म द्वारा सीखना—गांधीजी ने भारतीय शिक्षण पद्धति के तीन स्तरों—श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन (Hearing, Thinking, and Meditation) को वाचन, विचार और कर्म (Reading, Thinking and Action) द्वारा सीखने के रूप में ग्रहण किया है। गांधीजी ने कहा है कि शिक्षण विधि में इन तीनों का होना अति आवश्यक है। यदि इनमें से किसी के अभाव में ज्ञान प्राप्त किया जाएगा तो वह ज्ञान अस्थायी व अनुपायोगी होगा।

(5) प्रयोग द्वारा सीखना—गांधीजी की बेसिक शिक्षा योजना में प्रायोगिक कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। इस विधि के द्वारा बालक विभिन्न समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण, उनकी वर्तमान स्थिति, स्वरूप और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और उसको प्रयोग की कसौटी पर कसकर उसके वैज्ञानिक तथा सामाजिक महत्त्व का अनुमान लगा सकते हैं।

शिक्षक (Teacher)

गांधीजी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को अत्यधिक महत्त्व दिया है। इन्होंने शिक्षक को बालकों का मित्र, पथ-प्रदर्शक तथा सहायक के रूप में माना है। इनका विश्वास है कि शिक्षा के सम्बन्ध में किए गए प्रयोगों की सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है, इसलिए इन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि हमको अपने बालकों के लिए सर्वोत्तम शिक्षक खोजने चाहिए, भले ही यह खोज कितनी ही महँगी क्यों न हो। गांधीजी का कहना है कि विद्यार्थी को पुस्तक की अपेक्षा शिक्षक से अधिक सीखना है। उनके शब्दों में—“मैंने सदा यह अनुभव किया है कि विद्यार्थी की यथार्थ पाठ्य-पुस्तक उसका शिक्षक ही है।”

गांधीजी का कहना है कि शिक्षक के व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। इन्होंने लिखा है कि, “यह सर्वथा सम्भव है कि मीलों दूर बैठा शिक्षक भी अपनी जीवन-पद्धति के द्वारा अपने विद्यार्थियों की आत्माओं को प्रभावित करता रहे। मैं स्वयं झूठ बोलूँ और बालकों को सच बोलना सिखाऊँ तो मेरे लिए यह एक बेहूदी बात होगी। एक कायर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कभी शूरवीर बनाने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यह बात भली-भाँति समझी कि मुझे अपने साथ रहने वाले बालकों तथा बालिकाओं के सामने सदा आदर्श शिक्षक बनकर रहना होगा।” गांधीजी ने एक आदर्श शिक्षक में कुछ विशेषताओं की अपेक्षा की है। इनके अनुसार शिक्षक को सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय, सहानुभूति एवं श्रम का पुजारी होना चाहिए। उसे चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, संयमी, क्षमाशील, धार्मिक तथा क्रियाशील होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के

मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे विद्यार्थियों का विश्वासपात्र होना चाहिए तथा उसे अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। गांधीजी ने शिक्षक के विषय में लिखा है कि, "शिक्षक का कार्य एक प्रकाश स्तम्भ, एक संकेत बोर्ड, एक सन्दर्भ पुस्तक, एक शब्दकोष, एक द्रावक, एक मिश्रण प्रक्रिया को गति देने वाले के रूप में होता है।"

"The role of teacher can play in being a lamp-pot, a sign board, a reference book, a dictionary, a dissolvent, a compound processor."

बालक

(Child)

गांधीजी का कहना है कि विद्याभ्यास के लिए अच्छे आचरण की आवश्यकता होती है, अतः सभी विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी होना चाहिए ताकि वे संयम, नियम और सदाचार से रहें तथा अपना कर्तव्य पूरा करें। गांधीजी ने विद्यार्थियों से शारीरिक बल, बौद्धिक बल, चरित्र बल तथा आत्मिक बल की अपेक्षा की है। गांधीजी के अनुसार विद्यार्थी को अनुशासित, विनयी, शान्त, अहिंसक, जिज्ञासु, समाज-सेवी एवं देश-सेवी तथा स्वावलम्बी होना चाहिए। गांधीजी ने कहा है कि, "विद्यार्थियों को अपने भीतर खोजना चाहिए और अपने व्यक्तिगत चरित्र की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बिना चरित्र के शिक्षा किस काम की।"

"Students have to search within and look after their personal character, for what is education without character."

विद्यालय

(School)

गांधीजी विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र के रूप में व्यवस्थित करना चाहते हैं। उनके अनुसार विद्यालय ऐसे केन्द्र होने चाहिए जहाँ विद्यार्थियों का सब प्रकार का विकास हो, जो समाज की सेवा करें और जो समाज के साथ सहयोग रखें। विद्यालय का संगठन इस ढंग से होना चाहिए जिससे वे आत्म-निर्भर बन सकें अर्थात् हस्तकौशल के उत्पादनों से विद्यालय का खर्च निकाला जा सके। गांधीजी के विद्यालय-सम्बन्धी विचारों के विषय में एम०एस० पटेल (M.S. Patel) का कहना है कि, "वे चाहते हैं कि हम अपने स्कूल को समुदायों में बदल दें, जहाँ पर विद्यार्थियों की वैयक्तिकता नष्ट न हो, वरन् सामाजिक सम्पर्कों और सेवा के अवसरों से विकसित हो।"

"He (Gandhiji) wants that we should turn our schools as communities where individuality of students should not be finished and they may avail the opportunities, social contact and service."

अनुशासन

(Discipline)

गांधीजी चरित्र और हृदय की शुद्धता में विश्वास करते थे, इसलिए अनुशासन उनके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण था। वे उसे अत्यन्त मूल्यवान मानते थे। गांधीजी स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए वे शिक्षा में अनुशासन को अनिवार्य मानते थे, लेकिन वे दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे। गांधीजी दमन या शक्ति के द्वारा अनुशासन स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। वे मुक्तिवादी तथा प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर थे। इस सम्बन्ध में पोलक (Pollack) ने लिखा है कि, "महात्मा गांधी के चरित्र पर विचार करते हुए यह बहुत स्वाभाविक है कि वे शारीरिक दण्ड में केवल अविश्वास ही नहीं करते थे, वरन् उन्होंने बालकों के साथ व्यवहार करने में उसे प्रयोग करने को भी मना किया है।"

"Thinking about the character of Mr. Gandhi, it is quite natural that he not only disbelieved in physical punishment but he has instructed not to implement it in dealing with the children."

गांधीजी की मान्यता थी कि बालक प्रकृति से बुरा नहीं होता, वरन् प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण उसे अच्छा या बुरा बताते हैं, इसलिए प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण को उपयुक्त बनाकर छात्रों को अनुशासित

रखा जा सकता है। उनका विचार था कि छात्रों के आचरण और व्यवहार पर शिक्षकों के व्यक्तित्व और आचरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षक का आचारवान होना परम आवश्यक है, तभी छात्रों से अनुशासित रहने की आशा की जा सकती है। गांधीजी के अनुशासन संबंधी विचार सुधारवादी हैं। वे अनुशासनहीनता को एक व्याधि के समान मानते हैं, जिसका उपचार किया जाना चाहिए और यह कार्य प्रेम और सहानुभूति से ही हो सकता है, दमनात्मक रीति से या दण्ड से नहीं। अतः हमको विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ व पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए।

शिक्षा का माध्यम (Medium of Education)

गांधीजी जिस समय शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उस समय सबसे गम्भीर समस्या अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में थी। अंग्रेज शासक चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाये। परन्तु गांधीजी ने अंग्रेजी सीखने का तो विरोध नहीं किया परन्तु अंग्रेजी के स्थान के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, "अंग्रेजी भाषा को उसके स्थान में रखना मुझे प्रिय है, किन्तु यदि वह ऐसा स्थान हड़प लेती है तो उसका नहीं है तो मैं उसका कट्टरविरोधी हूँ। मैं उसे दूसरी वैकल्पिक भाषा का स्थान दे सकता हूँ। वह भी स्कूल की पढ़ाई में नहीं, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में।" यही नहीं गांधीजी का विचार यह भी था कि भारतवर्ष अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा रखना चाहता है तो उसे अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा के रूप में अपनाना चाहिये। अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिये चूँकि इससे हम पाश्चात्य विचारों व संस्कृति से परिचित होते हैं। परन्तु गांधीजी की यह नीति स्पष्ट थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाया जाना चाहिये। लिपि के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि "यदि मेरी चले तो मैं देवनागरी और उर्दू लिपि सीखना अनिवार्य कर दूँ।" वह रोमन लिपि के पक्ष में कतई नहीं थे। उनका मानना था कि प्रत्येक सुसंस्कृत भारतीय को अपनी प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त यदि वह हिन्दू है तो संस्कृत जानना चाहिये यदि मुसलमान है तो अरबी, यदि फारसी है तो फारसी जाननी चाहिये परन्तु इन सभी को हिन्दी का ज्ञान अवश्य होना चाहिये, चूँकि वह भारतीय या हिन्दुस्तानी है। गांधीजी उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था चाहते थे।

गांधीजी ने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही होना चाहिये क्योंकि मातृभाषा के द्वारा दिये गये ज्ञान से बालकों को समझने की शक्ति का विकास होता है। सच्चे अर्थों में देश की राष्ट्रीयता, सभ्यता एवं संस्कृति का भण्डार मातृभाषा में ही होता है। उसे सुरक्षित रखना है तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही होना चाहिये। "किसी भी राष्ट्र को अपने नवयुवकों में राष्ट्रीयता कायम रखनी हो तो उन्हें ऊँची और नीची सारी शिक्षा उन्हीं की भाषा में देनी चाहिये। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण विद्यार्थियों के दिमाग पर दोहा बोझ पड़ गया है। हमारा सारा वक्त पराई भाषा के उच्चारण और मुहावरे याद करने में चला जाता है। इस माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को विघटित कर दिया है और शिक्षा को महंगा बना दिया है। यदि यह प्रथा अब भी जारी रहेगी तो इससे राष्ट्र की आत्मा का हास होना निश्चित है, इसलिये शिक्षित भारतीय पराई भाषा के माध्यम की मोहिनी से जितना जल्द टूट जाये उतना ही उसके लिये और राष्ट्र के लिये अच्छा है।"

मातृभाषा की उन्नति में ही देश समाज एवं साहित्य की उन्नति होती है। देश भक्ति की भावनाओं का विकास मातृभाषा के द्वारा ही सम्भव है। हमारा देश ग्रामों में बसा हुआ है। शिक्षित व्यक्ति गांवों से दूर भागने लगता है, यदि ग्रामीणों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाये तो वे ग्रामीणों से घृणा नहीं करेंगे अपने को भी ग्रामीण समाज का अंग मानेंगे। देश में जो योजनाएँ असफल होती हैं उसका कारण यही है कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे उन्हें तैयार कर ग्रामीणों पर लाद देते हैं।

मातृभाषा में बालक बचपन से ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। अतः उन्हें विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं होता। इसीलिए गांधीजी ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि "हमारी भाषा हमारा प्रतिबिम्ब है। यदि आप कहें कि इस भाषा के द्वारा श्रेष्ठ और सूक्ष्म विचार व्यक्त नहीं किये जा सकते तो मैं कहूँगा कि जितनी जल्दी हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाये उतना अच्छा है।"

धार्मिक शिक्षा (Religious Education)

शिक्षा में धर्म की आवश्यकता गांधीजी ने बराबर समझी और कहा कि 'नास्तिकता इस देश में नहीं पनप सकती। कार्य अवश्य कठिन है। जिस समय मैं धार्मिक शिक्षा के विषय में सोचता हूँ, मैं बड़ी उलझन और परेशानियों में पड़ जाता हूँ। अतः उन्होंने समस्त धर्मों की मुख्य बातों और सत्य तथा अहिंसा के मौलिक सिद्धान्तों को धार्मिक शिक्षा की बुनियाद माना। उनके अनुसार समस्त धर्मों के आधार मूल रूप में प्रायः समान हैं। धार्मिक शिक्षा से उत्पन्न कठिनाइयों के प्रति जागरूक रहते हुये भी गांधीजी ने शिक्षा में धर्म का समर्थन किया।

धार्मिक शिक्षा का लक्ष्य गांधीजी ने सत्य का अनुशीलन माना और धार्मिक भावनाओं के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना इस शिक्षा का प्रमुख कार्य माना। वे चाहते थे कि हम ईश्वर की सत्ता के प्रति जागरूक हो जायें क्योंकि वही एक परमशक्ति है जो हमें सत्य के मार्ग पर लेकर चल सकती है। विद्यालयों को एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें हमारे विद्यार्थी भय, अविश्वास तथा घृणा से मुक्त होकर प्रेम, विश्वास तथा शान्ति जैसे सद्भावों को अपना सकें। धार्मिक शिक्षा का मूलाधार धर्म के सार्वभौमिक तत्वों की शिक्षा तथा सत्य एवं अहिंसा के आधारभूत गुणों के प्रशिक्षण में हो, जिनसे मानव जीवन में शुद्धता आ सके। अतः इन्हीं गुणों के घोर अभ्यास को ही आध्यात्मिकता की ठोस आधारशिला बनाया जाये। गांधीजी सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में उत्पन्न करने की सलाह देते हैं। गांधीजी धार्मिक शिक्षा के निम्न पाठ्यक्रम की संस्तुति करते हैं—

- (1) पाठ्यक्रम के सभी विषयों का आधार धर्म हो।
- (2) मानव जीवन का उन्नयन धार्मिक पाठ्यक्रम का लक्ष्य हो।
- (3) सत्य, अहिंसा, न्याय, मानवता, राष्ट्र भक्ति आदि भावों को प्रमुख स्थान दिया जाये।
- (4) आर्थिक सिद्धान्तों की उपेक्षा न की जाये।
- (5) संकीर्णताओं के लिये कोई स्थान न हो।

प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)

गांधीजी अशिक्षा को बहुत बड़ा अभिशाप मानते थे। उनके विचार से व्यक्ति और समाज के विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा बहुत आवश्यक है। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक देश की अधिकांश जनता अशिक्षित रहेगी, तब तक देश की वास्तविक उन्नति नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश जनता के अशिक्षित, अन्ध विश्वासी, कूपमण्डूक और पिछड़े हुये होने के कारण न प्रौढ़ों का कल्याण हो रहा है और न उनके बच्चों का। इसलिये अब हमारा शिक्षा क्षेत्र केवल सात वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों से ही सम्बन्धित नहीं रहा है। प्रौढ़ शिक्षा से गांधीजी का अभिप्राय केवल अक्षर ज्ञान से नहीं था बल्कि प्रौढ़ों के हृदय तथा मस्तिष्क को वे इस रूप में परिवर्तित कर देना चाहते थे कि उनकी अज्ञानता का अंधकार मिट जाये। उन्होंने कहा कि "मैं प्रौढ़ शिक्षा को उस साधारण अर्थ में जैसा हम लोग समझते हैं, नहीं लूंगा बल्कि वह तो अभिभावकों की शिक्षा होगी जिससे वे अपने बच्चों के निर्माण में अपना उत्तरदायित्व निभा सकें।"

प्रौढ़ शिक्षा को गांधीजी ने एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा और उसके लिये विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम में उद्योग, व्यवसाय, सफाई एवं स्वास्थ्य रक्षा, समाज कल्याण, साक्षरता, सामाजिक एवं नैतिक आदर्श, बौद्धिक विकास के कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण, भावात्मक एकता, पारिवारिक बातें और संस्कृति से सम्बन्धित क्रियाओं का समावेश किया। गांधीजी ने प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत पुरुषों और स्त्रियों दोनों को शिक्षित करने पर बल दिया। गांधीजी प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ना चाहते थे बल्कि वे जन प्रयास के द्वारा इसके प्रसार पर भी बल देना चाहते थे। गांधीजी ने छात्रों और शिक्षकों को यह परामर्श दिया कि वे ग्रीष्मावकाश ग्रामों में बितायें और ग्रामीणों को स्वास्थ्य और सफाई आदि की शिक्षा दें। वस्तुतः गांधीजी का सत्य और अहिंसा का पाठ तथा उनका पालन विश्व में प्रौढ़ शिक्षा का महानतम आदर्श

है। के० जी० सैयदैन ने कहा था कि "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भारत में गांधीजी सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं। भारत के करोड़ों लोगों के हृदय में उनकी वाणी का प्रभाव अमिट रूप से पड़ा है।"

स्त्री शिक्षा

(Women Education)

गांधीजी स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और उनको ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते थे लेकिन उनकी दयनीय दशा से बहुत दुःखी थे। अपने कुछ मित्रों से स्वराज्य प्राप्ति की योजना पर बातें करते हुये वह स्त्रियों की भूमिका पर भी चर्चा करते थे जिसमें वह कहते थे कि स्त्रियों के कार्यों से मैं बहुत अधिक आशा करता हूँ। उनको केवल कुछ सहायता की आवश्यकता है, जिससे उन्हें गर्त के कुएँ से निकाला जा सके जिसमें वे डाल दी गयी हैं। उन्होंने कहा, "जब तक स्त्रियाँ हमारे विषय भोग की सामग्री और रसोई करने वाली न रहकर हमारी जीवन सहचरी, अर्धांगिनी और दुःख-सुख की साझेदार नहीं बनती तब तक हमारे सारे प्रयत्न मिथ्या जान पड़ते हैं। कोई-कोई अपनी स्त्री को जानवर के समान समझते हैं। गांधीजी ने स्त्रियों की दयनीय दशा को अच्छी तरह से समझा और उनकी दशा को सुधारने के लिये अनेकानेक प्रयत्न किये। उन्होंने कहा जीवन में अक्षरज्ञान के बिना भी बहुत कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे बुद्धि का विकास होता है और परामर्श करने की शक्ति बढ़ती है। इसलिये पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाना चाहिये। वे शिक्षा के द्वारा स्त्रियों को प्राचीन भारतीय नारियों, जैसे सीता, पार्वती, दमयन्ती, गार्गी, मैत्रेयी के समान आदर्श रूप प्रदान करना चाहते थे। वे स्त्रियों को पति की गुड़िया, शादी करने और बच्चों को पालने तक के काम तक सीमित नहीं रखना चाहते थे वरन् उन्हें पशुता एवं बुराई के विरुद्ध लड़ने वाली वीरांगनाएँ और समाज व देश की सेवा करने वाली त्यागमयी देवियाँ बनाना चाहते थे।

स्त्रियों और पुरुषों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग होते हैं और दोनों में स्वाभाविक अन्तर होने के कारण गांधीजी ने दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, "दाम्पत्य के बाहरी कार्यों में पुरुष सर्वोपरि है। इसलिये यह उचित है कि उसे उन बातों का अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिये। भीतरी कार्यों में स्त्री की प्रधानता है, इसलिये गृह व्यवस्था, शिशुपालन और बच्चों की शिक्षा का स्त्रियों को अधिक ज्ञान होना चाहिये। यहाँ किसी को कोई भी ज्ञान प्राप्त करने से रोकने की कल्पना नहीं है, लेकिन इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर विवेकपूर्वक समझकर पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जायेगा तो दोनों वर्गों को अपने-अपने क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा।"

गांधीजी सभी स्त्रियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना अनावश्यक मानते थे। उनका विचार था कि थोड़ी पढ़ाई करने वालों के लिये, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अंग्रेजी शिक्षा व्यर्थ है। धनोपार्जन या राजनैतिक कार्यों के लिये अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिये कम स्त्रियाँ ही इसको सीखेंगी। गांधीजी स्त्रियों के लिये नौकरी करना या स्वतंत्र व्यापार करना आदि को सही नहीं मानते थे। उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के कार्य सौंपना समाज की निर्बलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जिस समाज में स्त्रियों को तारमास्टर या टाइपिस्ट या कम्पोजीटर का काम करना पड़ता हो, उसकी व्यवस्था बिगड़ी हुई समझनी चाहिये। उस जाति ने अपनी शक्ति का दिवाला निकाल दिया है और वह जाति अपनी पूंजी खर्च करने में लगी है, ऐसी मेरी राय है। अतः स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में उनका विचार था कि प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकांश भाग भले ही दोनों के लिये समान हो सकता है, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य बातों में बहुत असमानता है। एक खास उम्र के बाद उन्हें गृह व्यवस्था का, गर्भकाल की सार-संभाल का, बालकों के पालन-पोषण आदि का ज्ञान देने की आवश्यकता है।

